न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1193/2024

अनवान : –

1. निजाम खां पुत्र हासन खां जाति मुसलमान साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 01/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की कुल 12.3550 हैक्ट भूमि में वादी सयुंक्त तौर से 7299/61775 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की कुल 7.3770 हैक्ट भूमि में वादी संयुक्त तौर से 1791/14746 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की में वादी का नाम निजाम खां पुत्र हासम खां दर्ज है एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की भूमि में वादी का नाम निजाम पुत्र हासम खां दर्ज है जबकि वादी वादी का सही व वास्तविक नाम निजाम खां पुत्र हासन खां है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना नाम मुताबिक दस्तावेज निजाम खां पुत्र हासन खां दर्ज करपा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की में वादी का नाम निजाम खां पुत्र हासम खां दर्ज है एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम निजाम पुत्र हासम खां दर्ज है जबकि वादी वादी का सही व वास्तविक नाम निजाम खां पुत्र हासन खां है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना नाम मुताबिक दस्तावेज निजाम खां पुत्र हासन खां दर्ज करपा पाने का अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की कुल 12.3550 हैक्ट भूमि में वादी सयुंक्त तौर से 7299/61775 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की कुल 7.3770 हैक्ट भूमि में वादी संयुक्त तौर से 1791/14746 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की में वादी का नाम निजाम खां पुत्र हासम खां दर्ज है एवं रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की भूमि में वादी का नाम निजाम पुत्र हासम खां दर्ज है जबकि वादी उक्त राजस्व रिकार्ड में निजाम खां पुत्र हासन खां है दर्ज करवाना चाहता है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की कुल 12.3550 हैक्ट भूमि में वादी सयुंक्त तौर से 7299/61775 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **निजामखां पुत्र हासमखां के स्थान पर निजाम खां पुत्र हासन खां** व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की कुल 7.3770 हैक्ट भूमि में वादी संयुक्त तौर से 1791/14746 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **निजाम पुत्र हासम खां के स्थान निजाम खां पुत्र हासन खां** के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के नाम निजाम/निजाम खां पुत्र हासम खां के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का निजाम/निजाम खां पुत्र हासम खां के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम निजाम/निजाम खां पुत्र हासम खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से [illegible] कर वाकया दाखिल दफ्तर हों ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1193/2024

अनवान : –

1. निजाम खां पुत्र हासन खां जाति मुसलमान साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 64 सन 2022 निर्णय दिनांक 01/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 440/430 की कुल 12.3550 हैक्ट भूमि में वादी सयुंक्त तौर से 7299/61775 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **निजामखां पुत्र हासमखां के स्थान पर निजाम खां पुत्र हासन खां** व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 518/518 की कुल 7.3770 हैक्ट भूमि में वादी संयुक्त तौर से 1791/14746 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **निजाम पुत्र हासम खां के स्थान निजाम खां पुत्र हासन खां** के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के नाम निजाम/निजाम खां पुत्र हासम खां के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का निजाम/निजाम खां पुत्र हासम खां के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम निजाम/निजाम खां पुत्र हासम खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested